संख्या -42/सीपी 20/84-2-2014-सीपी 2/2011

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संतरविदासनगर भदोही।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 2014

विषय श्री विश्वम्भर नाथ तिवारी, चपरासी/अर्दली, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, संतरविदासनगर भदोही के पैतृक विभाग के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1087/जि0पू0अ0/अधि0/2011, दिनांक 02 फरवरी, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-48401/2011 (37974/1997) विश्वम्भर नाथ तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2013 को पारित निर्णय में आपको स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, संतरविदासनगर के पत्र संख्या-129/जि0फो0/स्था0/2011, दिनांक 04 जनवरी, 2011 द्वारा श्री तिवारी को उनके पैतृक विभाग जिला पूर्ति कार्यालय, संतरविदासनगर भदोही में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त किया गया है तथा वर्तमान में श्री तिवारी उक्त फोरम में सेवायें नहीं दे रहे हैं। अत: कृपया मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन अथवा अपील की कार्यवाही अपने स्तर से करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in